JAIPUR METRO

जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड

खनिज भवन, तिलग मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर – 302015

दूरभाष 0141–5192407

दिनांक 15.12.2015

प्रेस रिलीज

जयपुर मेट्रो रेल मार्ग में पतंगबाजी जानलेवा

जयपुर मेट्रो के मानसरोवर से चाँदपोल मार्ग में रेल संचालन 25000 वोल्ट बिजली के तारों द्वारा किया जाता है, जिनमें लगातार 24 घंटे करंट चालू रहता है। यह बिजली के तार मेट्रो रूट पर सड़क से करीब 30 मीटर ऊंचाई तक है। यदि पतंग का मांझा इन बिजली के तारों में उलझ जाये तो करंट इस मांझे से सीधे ही पतंग उडाने वाले तक पहुंच कर खतरनाक व जानलेवा साबित हो सकता है। पूर्व में भारतीय रेल एवं दिल्ली मेट्रो के बिजलीकृत रेल खंडो में पतंगबाजी के कारण इस तरह की घटनाये हो चुकी है।

जिला कलेक्टर, जयपुर ने भी चाईनीज व मेटेलिक मांझे के निर्माण, परिवहन, भंडारण, विक्रय और उपयोग करने पर रोक लगाते हुए, अवहेलना करने वालो के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत 1000 रूपया तक जुर्माना या 6 महीने तक की जेल या दोनो दंड दिए जाने का आदेश जारी किया है।

जेएमआरसी के सीएमडी निहाल चंद गोयल ने बताया कि गत वर्ष मकर संक्राति के समय जब मेट्रो का रेल संचालन नहीं था, मेट्रो के बिजली के तारों से करीब 2500 पतंगो एवं काफी तादाद में इसके मांझो को हटाने में मेट्रो कर्मियों को 3 दिन का समय लगा था।

अब जयपुर मेट्रो रेल संचालन दिनांक 03 जून, 2015 से शुरू हो चुका है। श्री गोयल ने बताया कि इस बार जेएमआरसी मेट्रो यात्रियों एवं कॉरिडोर के रहवासियों को पेम्पलेट एवं मेट्रोकर्मियों के मार्फत अपील के साथ सजग करेगा कि मेट्रो रेल मार्ग के ऊपर वे पतंगबाजी से परहेज करें, ताकि उनके परिवार में किसी के जीवन को नुकसान से रोकने के साथ ही पतंग व इसके मांझे के उलझने के कारण मेट्रो रेल संचालन को प्रभावित होने से भी रोका जा सके।

जनसम्पर्क अधिकारी

अपील की प्रति संलग्न है।